कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 03–सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र–सह–आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा

अनुलग्नक–ख–I

भारत निर्वाचन आयोग

बिहार विधान परिषद् के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियों को तैयार करना

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31(4) के अंतर्गत नोटिस

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31(3) के अनुसरण में 03–सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने दिनांक 01.10.2019 के अपने नोटिस के द्वारा उपर्युक्त उल्लिखित सम्बन्धित शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के पात्र सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षा की थी कि वे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के साथ संलग्न रूप में प्रकाशित और प्रभात खबर एवं The Times of India समाचार पत्रों के दिनांक 01.10.2019 के संस्करण में उक्त नोटिस की दूसरी अनुसूची में पुनः प्रकाशित फार्म 19 में अपना आवेदन 06.11.2019 तक या उससे पहले उनके कार्यालय में भेज दें या उन्हें सुपुर्द कर दें।

उपर्युक्त सभी व्यक्ति फार्म 19 में अपने आवेदन 06.11.2019 तक या उससे पहले जमा करवा दें, यदि उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है।

उक्त विवरण मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार की शासकीय वेबसाइट www.ceobihar.nic.in पर भी उपलब्ध है।

11.10.19

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
03–सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
–सह–आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा